भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

AN 204967

जिला कोषागार पूर्वी चम्पारण
बिहार BIHAR
मोतिहारी

26 APR 2022

वरीय कोषागार पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

अरुण कुमार श्रीवास्तव
मुद्रांक विक्रेता, मोतिहारी
ला० नं०-133/88-89

Supplemental Agreement No. 178 Sub of 20-21 ***Date.*** ....

This agreement, made the 14/5/2022 day of____________20__________, Between EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, RAXAUL *[name and address of Employer](hereinafter called "the Employer")* of the one part, and **Barhonia Engicon Pvt. Ltd Chandrakanta Complex, Rajiv Nagar, Bihar -800024 (BID ID-395242)** *[name and address of Contractor](hereinafter called " the Contractor " of the other part).* Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Output and performance based Rural Road contract for the maintenance of Roads **REO Road to Lohdiha Path, Package No.-MR-N/19-20/Raxaul/05 (Tender ID-88318)** *(hereinafter called " the Works")* and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution of such Works and the remedying of any defects therein, at a contract price of **Rs. 2,38,04,214.00 (Rupees Two Crore thirty-eight Lakh four thousand two hundred fourteen Only)**

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In the Agreement ,words and expression shall have same meaning as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to , and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy and defects therein in conformity in all aspects with previsions of the Contract.

Barhonia Engicon Pvt. Ltd.
MD / Director

14/5

14/5/2022
Executive Engineer
Rural Works Departmen
Works Division, Raxaul
14/5/2

मुख्य अभियंता –3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांकः– II/मु0अ0–3,त0स्वी0–10–371/21 पटना दिनांकः–

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रमीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **मोतिहारी**।

विषयः– **शीर्ष 3054 एम0आर0 अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, रक्सौल के अधीन 01 अदद पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः–आपका पत्रांक–286 अनु0 दिनांक–11.04.2022 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1122 अनु0 दिनांक–09.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, **रक्सौल** के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न हैः–

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agemt. Rate)
1.	Raxaul	REO Road To Lohdiha Path	7.100	5128/~~24.09.21~~ 24.09.19	249.88520	238.03

2. निर्माण कार्य **3054 एम0आर0 योजना** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेगें यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरुप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरुपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यो के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलवध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिकत मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नही समझी जाये।
7. पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **मोतिहारी** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामग्रियों के दर के

Barhonia Engicon Pvt. Ltd.
MD / Director

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Raxaul

आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आडी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।

10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **मोतिहारी** को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लेगें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनु0– स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/–

मुख्य अभियंता–3, पटना

ज्ञापांकः– 1782 पटना, दिनांकः– 21-4-22

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **रक्सौल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

21/4/22

मुख्य अभियंता–3, पटना